पुरवराज

19/12/2017 पत्रावली देखा गया। गैर आवेदक की ओर से 3 नक्शा मूल पुष्पराज उर्फ हुक्का गैर आवेदक लालमुंदर राजपूत गैर हाजिर पत्रावली को अवलोकन किया सेशिष्ट ने निष्कर्ष प्रकट है कि पटवारी हल्का रिपोर्ट के मौजा रिपोर्ट के ख०न० 1087 रकबा 0.02 है० किस्म भूमि बा० 02 पर सम्वत् 2014 में गैर आवेदक उमाराम पुत्र नारायणराम जाति माली नि० रिपोर्ट के विरुद्ध राजकीय भूमि बा० 2 पर राजपत्र रूप से कब्जा कर अतिक्रमण करने के संबंध में डी० पी० रिपोर्ट पेश की गई। जिस पर इस न्यायालय ने राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत राजस्व प्रकरण दर्ज कर गैर आवेदक को नोटिस जारी किया जाकर तलब किया गया। गैर आवेदक का पुत्र उमाराम हुक्का गैर आवेदक उमाराम पुत्र नारायणराम जाति माली नि० रिपोर्ट एवम् प्रस्तुत दस्तावेज रिपोर्ट के

उमाराम पुत्र नारायण राम जाति भांभी नि० रियांबड़ी
को राजकीय भूमि पर अतिक्रमण करने के कारण
अतिक्रमी घोषित किया जाकर राजकीय भूमि पर
किये गये अतिक्रमण को मौखिक रूप से बेदखल
करने एवं शास्ती के रूप में 05 (पांच रुपये मात्र) कायम किये
गये है। पटवारी (रा०) रियांबड़ी को आवंटित सुमेरा
ग्राम की चरागाह एवं मौखिक बेदखली हेतु निरस्त
जाकर पत्रावली मांग कायमी हेतु ई०आर०ए०
तहसील रियांबड़ी को भेजी जाकर पत्रावली
निस्तारण बाबत दाखिल दफ्तर की
विषय मात्र दि० 19.12.2017 को सुनाया
गया।

तहसीलदार, रियां बड़ी
(नागौर - राजस्थान)